

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4285
गुरुवार, दिनांक 19 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने हेतु

ग्रिड से जुड़े सौर और पवन विद्युत संयंत्र

4285. श्री ए. नारायण स्वामी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) गत पांच वर्षों में निर्मित ग्रिड से जुड़े सौर और पवन विद्युत संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर रहे हैं;
- (ग) यदि हां, तो विद्युत उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा क्या है और इन संयंत्रों द्वारा वास्तविक रूप में कितनी विद्युत उत्पादित की गई है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

- (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्मित ग्रिड संबद्ध सौर तथा पवन विद्युत संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-I तथा अनुलग्नक-II में दिया गया है।
- (ख) से (घ): चूंकि अधिकांश सौर तथा पवन विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्र के निवेश से स्थापित हैं, अतः उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें ताकि संयंत्रों की वित्तीय क्षमता बनी रहे। दिनांक 29.02.2020 की स्थिति के अनुसार, संचयी सौर तथा पवन विद्युत की संस्थापित क्षमता क्रमशः 35065 मेगावाट तथा 37669 मेगावाट थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार अप्रैल, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक सौर तथा पवन विद्युत परियोजनाओं का उत्पादन क्रमशः 34.80 बीयू तथा 54.40 बीयू है।

‘ग्रिड से जुड़े सौर और पवन विद्युत संयंत्र’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.03.2020 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4285 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-1

पिछले पांच वर्ष के दौरान (29.02.2020 तक) संस्थापित/जोड़ी गई राज्य-वार/वर्ष-वार सौर क्षमता (मेगावाट में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2014-15 के दौरान जोड़ी गई क्षमता	वर्ष 2015-16 के दौरान जोड़ी गई क्षमता	वर्ष 2016-17 के दौरान जोड़ी गई क्षमता	वर्ष 2017-18 के दौरान जोड़ी गई क्षमता	वर्ष 2018-19 के दौरान जोड़ी गई क्षमता	वर्ष 2019-20 के दौरान जोड़ी गई क्षमता (29.02.2020 तक)	29.02.2020 तक स्थापित संचयी क्षमता
1	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	1.46	0.00	5.17	0.46	12.19
2	आंध्र प्रदेश	126.77	435.11	1294.26	328.24	890.22	473.34	3559.02
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.24	0.00	5.13	0.00	0.22	5.61
4	असम	0.00	0.00	11.78	0.67	9.95	18.83	41.23
5	बिहार	0.00	5.10	103.42	33.93	0.00	9.12	151.57
6	चंडीगढ़	2.50	2.31	10.52	7.88	9.51	2.28	36.99
7	छत्तीसगढ़	0.50	85.98	35.28	102.49	0.00	0.00	231.35
8	दादर और नगर	0.00	0.00	2.97	2.49	0.00	0.00	5.46
9	दमन और दीव	0.00	4.00	6.46	0.15	3.86	2.84	17.31
10	दिल्ली	0.32	20.31	25.99	17.80	57.32	38.27	165.16
11	गोवा	0.00	0.00	0.71	0.20	2.98	0.89	4.78
12	गुजरात	83.65	128.87	130.19	328.89	852.13	446.03	2886.16
13	हरियाणा	2.50	14.59	66.01	123.45	7.67	27.62	252.14
14	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.20	0.53	0.00	21.95	10.25	32.93
15	जम्मू और कश्मीर	0.00	1.00	0.36	0.00	13.47	4.47	19.30
16	झारखंड	0.00	0.19	7.08	2.39	9.28	3.45	38.40
17	कर्नाटक	46.22	69.31	882.38	3915.22	1151.43	1182.37	7277.92
18	केरल	0.00	13.31	61.15	33.46	30.65	3.64	142.23
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
20	मध्य प्रदेश	205.00	217.79	80.67	448.31	534.81	418.30	2258.45
21	महाराष्ट्र	82.23	34.26	66.61	777.56	394.36	827.96	2461.50
22	मणिपुर	0.00	0.00	0.03	0.03	3.38	1.72	5.16
23	मेघालय	0.00	0.00	0.01	0.01	0.10	0.00	0.12
24	मिजोरम	0.00	0.10	0.00	0.10	0.30	1.02	1.52
25	नागालैंड	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00
26	ओडिशा	2.26	35.16	12.50	0.15	315.16	3.11	397.84
27	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.05	0.08	2.98	2.37	5.51
28	पंजाब	168.75	227.31	388.89	104.15	0.00	41.48	947.10
29	राजस्थान	228.85	329.18	543.00	518.49	894.02	1808.29	5035.08
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.07
31	तमिलनाडु	54.12	922.34	630.01	213.65	666.65	1340.66	3915.88
32	तेलंगाना	61.25	360.80	759.13	2004.27	300.84	28.66	3620.75
33	त्रिपुरा	5.00	0.00	0.09	0.00	0.00	4.32	9.41
34	उत्तर प्रदेश	42.16	72.79	193.24	357.13	265.69	135.00	1095.10
35	उत्तराखंड	0.00	37.95	192.35	24.79	46.67	9.15	315.90
36	पश्चिम बंगाल	0.00	0.69	18.37	11.06	38.63	38.51	114.46
	कुल	1112.08	3018.89	5526.00	9362.67	6529.19	6884.68	35065.35

‘ग्रिड से जुड़े सौर और पवन विद्युत संयंत्र’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.03.2020 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4285 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

वर्ष-वार पवन विद्युत संस्थापित क्षमता (29.02.2020 के अनुसार)

राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (29.02.2020 तक)	29.02.2020 तक संचयी क्षमता
आन्ध्र प्रदेश	285.20	400.10	2187.45	348.1	123.5	2	4092.45
गुजरात	190.73	392.40	1392.00	272.8	459.65	1405.95	7479.02
कर्नाटक	320.10	230.90	882.30	857	86.5	95.7	4790.6
केरल	0.00	8.40	8.00	1	0	10	62.5
मध्य प्रदेश	456.30	1261.40	356.70	22.1	0	0	2519.89
महाराष्ट्र	350.45	207.85	117.55	12.6	10.2	206.2	5000.33
राजस्थान	523.50	685.50	287.70	16	2	0	4299.72
तमिलनाडु	185.50	158.80	247.58	335.635	771.815	323.435	9292.34
तेलंगाना	-	77.70	23.10	0	27.3	0	128.1
अन्य	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.3
कुल	2311.78	3423.05	5502.38	1865.235	1480.96	2043.285	37669.25
